के जो रिपोर्टर वार्शिंगटन में हैं उन्होंने लिखा है कि ---

"India will be especially interested in the terms in view of the troubles over Tarapur which is under a separate bilateral agreement."

इस ग्राधार पर यदि हम इस समस्या पर विचार करें तो हमें पता चलेगा, कि ये बातें ऐसी हैं जिन पर हमें गम्भीर-रता से विचार करना होगा । चीन ग्रौर ग्रमेरिका के संबंध जिस प्रकार से बढ रहे हैं और जिस प्रकार से साम्राज्यवादी देश इस भखण्ड में पाकिस्तान को हथि-यारों से लैस कर रहे हैं उससे बड़ो चिता पैदा हो जाती है। चीन अपीर पाकिस्तान अपने हथियारों में बढ़ोतरो करते जा रहे हैं। इस बक्त हमारे विदेश मंत्रो जो यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन से कहना चाहता हं कि जब वे चीन जा रहे हैं तो उन्हें इन बातों को अवश्य महेनजर रखना चाहिए ।

# THE CONSTITUTION (AUTHORIS-ED TRANSLATIONS) BILL, 1978

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हं कि :

"संविधान के प्राधिहत अनुवादों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें।''

महोदय, हम सभो जानते हैं कि भारत में प्रजातन्तात्मक अणाली की सरकार है। चूंकि प्रजातंत्र में सरकार जनता ढारा, जनता के हितों के लिए और जनता को ही होती है इसलिए जनता और सरकार के बीच किसी किस्म की दीवार नहीं रहनी चाहिए

और शासन का सारा काम जनता की भाषा में ही किया जाना चाहिए । इन्हीं वातों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री, ग्रादरणीय श्री मोरारजी देसाई. ने कहाथा 'जब तक इस' देश का कामकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है।' विदेशी भाषा किसी भी राष्ट के पुनरुत्यान तथा विकास के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। हमें विभिन्न क्षेत्रों में, कम से कम समय में, एक बडे पैमाने पर विकास का काम करना है, साथ हो, स्राधनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए, जनता का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करना है, यह सब केवल देश की अपनी भावाझों के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए प्रशासन ग्रादि क्षेत्रों में भारतीय भाषाएं अप्रेजी की जगह ले रही हैं और अनेक राज्यों में वहां की भाषाओं में काम हो रहा है। देश की भाषाओं का प्रशासन के काम में प्रयोग होने से प्रशासन और जनता के बीच सीबा सम्पर्क स्थापित हो रहा है। फिर भी इतना जरूर मानना होगा कि इस बारे में प्रगति एक जैसी नहीं है।

जनता को त्याय सुलभ कराने के लिए ग्रौर न्याय की प्रक्रिया सहज और बोधगम्य बनाने के लिए, न्यायालयों में हिन्दी ग्रौर क्षेत्रीय भाषाग्रों का प्रयोग बढ़ाने में हिन्दी ग्रौर विभिन्न राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त ज्रन्य भाषाग्रों में, संविधान ग्रौर केन्द्रीय ग्रधिनियमों के प्राकृतिक अनुवाद की काफो कमी महसूस की जा रही थी ग्रौर हिन्दी तथा ग्रन्य प्रादेशिक भाषाग्रों में प्रामाणिक संविधान उपलब्ध कराने के प्रश्न पर कई वर्षों से विचार किया जा रहा था। इस कमी को पुरा करने के लिए वर्तमान विधेयक संसद के समक्ष रखा गया है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करे ग्रौर इसे पारित करे।

The question was proposed

#### 99 *Constitution* (yhitfiorised *Translations*)

[RAJYA SABHA]

100

श्री सवाई सिंह सिसौदिया (मध्य प्रदेश): मान्यवर, सन् 1950 में संविधान सभा के ढारा हमारा कांस्टिट्यूणन स्वीकार किया गया ग्रौर उसका हिन्दी ग्रनुवाद भी तत्कालीन सभा ढारा उसके ग्रध्यक्ष की देख-रेख में तैयार किया गया ।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair].

उस 1950 के संविधान का जो हिन्दी अन्वाद था तब तक वह ग्रधिकृत अन्वाद नहीं माना जा सकता था जब तक कि उसको संवैधानिक स्वरूप ग्रौर उसको वैधानिक मान्यता देने के लिए कोई व्यवस्था न की जाये और मेरा ऐसा ख्याल है कि उस काम को पुरा करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि बहुत देर से इस प्रकार का विधेयक सदन में स्वीकृति के लिए प्रस्तृत किया गया है लेकिन फिर भी यदि ग्रच्छा काम देर से हो तो उसकी ग्रच्छाई खत्म नहीं होती । मैं मान्यवर, यह निवेदन करना चाहता हं कि इस विधेयक के झलावा पूर्व में भी दो विधान स्वीकार हो चुके हैं संसद से। एक है हिन्दी ग्राफिशियल लैंग्वेज एकट 1963 और दूसरा है ब्राथराइज्ड ट्रांसलेगन आफ सेन्ट्रल लाज ऐक्ट 1973। इन दोनों विधानों के द्वारा जो केन्द्रीय कानन बनते हैं या उससे संबंधित जो रूल्स, बाइलाज जारी किये जाते हैं उन सब काजो अनुवाद है उसको अधिकृत अनुवाद कोड स्वरूप देने को व्यवस्था इन दोनों काननों के अन्तगंत है। धारा 351 जो हमारे कांस्टि-ट्यू जन का आर्टिकल है उसमें यह निर्देश दिया गया है कि हिन्दी भाषा के विकास के लिये गीझ कायंवाही की जाये। इन दोनों काननों के पास कराने के बाद भी इसकी हमारे सविधान के इस आहिकल 351 के अनुसार ही आवस्वकतां हुई । उसमें यह भो विजेश निर्देष दिया गया है कि हिन्दी भाषा के झब्द भंडार के लिये मुख्यतया संस्कृत का उपयोग किया जाये

ग्रौर उससे उसकी समुद्धि में सुनिश्चित व्यवस्था की जाये । मेरा यह निवेदन है कि यह जो पुराना विधान है आधाराइज्ड टांसलेेेेेेे झाफ सेन्टल लाज ऐक्ट 1973 उसको यटि माननीय मंत्री जो गौर से देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस विधान की मौजुदगी में ग्रलग से किसी कांस्टीट्युशन के ग्रधिकृत ग्रनवाद की व्यवस्था के बारे में कोई विघेयक प्रस्तत करने की ग्रावश्यकता नहीं थी । यह आथोराइज्ड ट्रांसलेशन सेंट्रल लाज तमाम जो केन्द्रीय कानून हैं उन पर लागू होता है । इसलिए केवल एक अमेंडमेंट करने की ग्रावण्यकता थी कि सेन्ट्रल लाज के साथ साथ कांस्टीट्यू शन का भी जो अनुवाद होगा वह ग्राथोराइज्ड माना जाएगा । यह कैसे आधोराइज्ड माना जाएगा उसकी व्यवस्था के बारे में संगोधन करना ही काफी था। यह केवल रेपोटी गन है। मैंने इस को बहत गौर से देखा है, यह जो पूराने विधान है <u> श्राथाराइज्ड ट्रांसलेशन</u> सेन्ट्ल लाज ग्रीर जो लाया गया है कांस्टीट्यू शन अथाराइज्ड ट्रांसलेशन विल, 1978 बिलकुल अक्षरश: हैं। दोनों विधानों में इतना जरूरी है कि इसमें केवल सेन्ट्रल लाज हैं वहां पर उसकी जगह एक कांस्टीट्युशन शब्द बढ़ाया गया है । इसलिए दूसरा कोई अन्तर किसी किस्म का नहीं है। मेरा यह ख्याल है कि. इतना वडा विधि विभाग ग्रापके पास है, ग्रापका विभाग भी काफी विस्तृत है, उसके बाद भी आपको यह सलाह क्यों नहीं दी गई कि बजाय इसके कि ग्राप नया कानुन लाएं कांस्टोट्युशन शब्द सेंट्रल लाज के साथ बढ़ा देना काफी था। यह केवल उसकी प्रतिलिपि है। शुरू से अन्त तक सेंट्रल लाज की जगह कांस्टीट्युशन शब्द बढाया गया है। मैं फिरसे श्राग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी यह कोई ग्रच्छी बात नहीं है, ग्रच्छी परम्परा 🚽 नहीं है। ग्रगर एक विधान में एक शब्द बढा कर के आपकी जो आवश्यकत है उसकी पूर्ति हो जाती है तो नया विधेयक लाने की

102

क्या ग्रावश्यकता थी। इसके बारे में ग्राप विचार करें। ग्रब मैं दो चार वातें माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हं। उनको इस बात की पुरी जानकारी है कि हमारे देश में 30 फीसदी लोग पढे लिखे हैं। इन 30 फीसदी पढे लिखे लोगों में दो फीसदी लोग ऐसे हैं जो ग्रंग्रेजी समझते हैं। यह जो हमारा कांस्टोटय जन तैयार हग्रा, स्वीकृत हग्रा, ग्रंग्रेजों के समय में जो प्राने कानून थे इंडिया इंडीपेंडेंस ऐक्ट, 1947, गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया एक्ट 1935 इनकी बहत सी धारात्रों के बाधार पर हमारा संविधान तैयार किया गया है। हमारे संविधान का जो बेसिक स्टुक्चर जो है वह इन्हीं विधानों के ऊपर आधारित है। मझे ऐसा लगता है कि ये हमारी परिस्थितियों की दास्ता ही समझी जानी चाहिए कि उस समय हमारे इतने बडे देश में जैसे कि मैंने निवेदन किया कि कैवल 2 र्फ सदी लोग घंग्रेजी ज नने दें। हमारा जो मलतः सविधान तैयार किया गया वह ग्रंग्रेजी में तैयार किया गया। अब उसका हिन्दी में ग्रनवाट हो ग्रीर हिन्दी के ग्रनवाट को ग्रधिकृत सान्यता देने के लिए ग्रंब यह व्यवस्था सदन के सामने आई है तो यह कोई/बहत स्वाभि-मान की बात नहीं है, बहत वडे गौरव की बात नहीं है, हमारे देश की इज्जल बढाने वाली वात नहीं है। खैर उस जमाने में हो सब ता था,हमारे सामने भी परिस्थितियां थी, पुराने विधान अंग्रेजों के जमाने से जिस प्रकार से ग्रा रहे थे उस के ग्राधार पर संविधान बना. उस समय ऐसी व्यवस्था करना शायद सम्भव नहीं हो सकता था। लेकिन ग्रब कम से कम मुख्य तौर पर इस वात पर जोर देना चाहता हं कि आज भी यही व्यवस्था है । हमारे जो कानून बनते हैं पहले ग्रंग्रेजी में तैयार होते हैं, फिर उनके ट्रांस्लेशन को मान्यता देने के लिए व्यवस्था लाग करने के लिए विधेयक प्रस्तुत होते हैं। इस व्यवस्था को जो ग्राज चली हा रही है संविधान के पास होने के बाद में कम से कम इस बाते की णुरुग्रात होनी चाहिए कि मुल तौर पर विधेयक, म्राडिनेंस जो इग होते हैं

वे हिन्दी में तैयार होने चाहिए ग्रौर उसके बाद उनका अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए । यदि उस अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता देने की बात झाए तो यह स्वागत की बात हो सकती है। लेकिन ऐसे मल्क में जहां कि केवल 2 फीसदी लोग ग्रंग्रेजी जानते हैं इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी पूरानी व्यवस्था को चाल रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। एक तरफ तो हम यह मांग करते हैं कि यु० एन० झो० में हिन्दी जो है इसको झन्तर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दी जाये। इसको य० एन० ग्रो० में मान्यता मिलनी चाहिए। दुनिया में 31 ऐसे मुल्क हैं जहां कि बहत से लोग हिन्दी जानते हैं और हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं स्नौर हम यह भी महसस करते हैं कि विदेशों के जितने भी प्रतिनिधि मंडल यहां स्राते हैं वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, यदयपि वे ग्रंग्रेजी जानते हैं और ग्रच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं. समझ सकते हैं लेकिन फिर भी यहां बातचीत में, ग्रापस में जो चर्चाएं होती हैं उसमें अपने राष्ट की भाषा का उपयोग करते हैं, जितनी भी सोशलिस्ट कन्ट्रीज हैं या और महक हैं जिनके लोग यहां स्नाते हैं वे ग्रपनी ही भाषा का उपयोग करते हैं। हमारी जानकारी के लिए उसका इंग्लिश में अनवाद होता है परग्तु हम लोग जब बाहर जाने हैं तो इंग्लिम में बात करते हैं, हमारी बात का क्रनवाद वई मरको में हिन्दी में किया जाता है।

मेरा यह भी कहना है कि यह राष्ट्रीय गौरव के विपरीत है। इन सब परम्पराओं को ग्राज की स्थिति में बदलना चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूगा कि हिग्दी भाषा का मतलब यह नहीं है कि जिस प्रकार कि इन विधानों का, विधे-यकों का ग्रनुबाद होता है, यह इतनी किलप्ट हिग्दी में होता है कि उसको ग्राम तौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा स्याल है, कि उसका विरोध होता है कभी-कभी हमारे सामने भी जब किसी विधेयक का या विधान का ग्रनुबाद हिग्दी में ग्राता है तो उसको समझने में बडी मधिकल होती है ग्रीर इन्छा

Bill, 1978

पढ़ लिख सकते हैं वे लोग समझ सकें कि कानून की यह व्यवस्था सारे मल्क के लिए वनती है। इसलिए ऐसी भाषाग्रों में ये तैयार किये जाने चाहिएं जिससे कि ग्रामतौर पर उसको लोग समझे । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कहंगा कि झाप इस प्रकार की भाषाओं में ग्रनवाद कराने की व्यवस्था करें कि तमाम लोग उनको समझ सकें इसके लिए ग्रगर संविधान के ग्रार्टीकिल 351 से आपको इस काम में कोई कठिनाई पैदा हो तो उसमें भी संगोधन करने की बात ग्राप सोच सकते हैं। लेकिन इस वात को हमें हमेशा सामने रखना चाहिए कि हिन्दी ग्रौर हमारे राष्ट्र की ग्रन्थ जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रीर हिन्दी में जो अप्रेजी कानून का अन्वाद हो तो वह आरम तौर पर लोगों की समझ में ग्राने वाली भाषा में तैयार किया जाना चाहिए और ग्रापने जैसा कहा कि हमारा मख्य उददेश्य यही है कि लोगों तक वह पहुंच सके और वे समझ सकें। ग्राप उनको यह जानकारी दे सकें कि यह कानन किस उददेश्य से बनाया गया है। अतः जानकारी देने के लिए मख्य तौर पर ग्रायको इस बात को सामने रखना चाहिए । इस पर बोलते हुए मझे एक वात का भी स्मरण हो रहा है कि हमेशा हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिये हम लोग चर्चा करते हैं. हमारे संविधान में भी उसकी व्यवस्था है, बहत सी समितियां भी इसके लिये बनी हैं जो इसका ध्यान भी कर रही हैं कि कितना प्रचार हुआ है। लोगों को हिन्दी सिखाने के लिये, समझाने के लिये कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इस वात को खास तौर पर नजरन्दाज किया जाता है कि हिन्दी भाषा में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार का ग्रन्वाद होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। यहां तक देखिये कि तुलसी दास जी ने जो भजन लिखे हैं उसमें भी कम से कम सौ मब्दों का जो फारसी और उर्द के हैं उनका प्रयोग किया गया है । इसलिये आज तुलसी दास जी. इस जमाने में भी, चाहे उनका कार्यकाल बहत

104

# [त्री सवाई सिंह सिसोदिया]

103

होती है कि उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मूल विधान है, लिखा हम्रा वह किसी प्रकार मिल सके जिससे कि बात बिल्कूल ग्रौर जल्दी समझ में आ सके। हमारे कांस्टीटयशन में यदयपि लिखा हआ है कि जो बोकेबलेरी है वह संस्कृत से ली जानी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यदि इसके बारे में ग्रावश्यकता हो तो कास्टीटयशन में अमेंडमेंट करना चाहिए कि बोलचाल की भाषा का भी उपयोग करना चाहिए इस प्रकार के टांसलेशन में । ऐसे गव्द जिनको समझने के लिए डिक्शनरी की जरूरत हो तो यह बात अच्छी नहीं है और यही कारण हो सकता है कि दक्षिण में रहने वाले या दसरे हिस्सों में रहने वाले भाई इन प्रकार की हिन्दी का विरोध करते हैं। हिन्दी चालु होनी चाहिए जिसको ग्राम लोग समझ सकें। हिन्दी का हाजमा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह दूसरी भाषाम्रों के शब्दों को पचासके यह गलत बात नहीं है । संप्रेजी के शब्दों. पशियन के मराठी के या ग्रीर किसी बोली जाने वाली भाषा के जिनका कि संविद्यान के ग्राठवें शिइवल में उल्लेख किया गया है. उन भाषाओं के शब्दों का समावेश करते हए जो बोलचाल कि हिन्दस्तान को भावा है, उस भावा में हमारे कानन या रूज अथवा आहिनेन्स या विधान तैयार किये जाने चाहिएं । माननीय मंत्री जी ने ब्रुवान मंत्री जो के किसी भाषण का उल्लेख किया है लेकिन उसकी मन्शा को समझने की तकनोफ नहीं की है उन्होंने यह कब- कहा या किसी ने कब कहा कि ऐसी भाषा में टांसलेशन करिये कि दसरा ग्रादमी समझ ही न सकता हो । तो उन भाषाओं का उल्लेख करते हए ग्राप इस बात को क्यों भल जाते हैं। आप इस प्रकार की भाषाओं में अनुवाद कराने की व्यवस्था कीजिए कि जिसको ग्राम तौर पर सव लोग समझ सकें । म्रापका यही उददेग्य है कि दो फीसदी अंग्रेजी जानने वाले लोगों को छोडकर इस मल्क में रहने वाले लोग जिनमें 30 प्रतिशत पढे लिखे लोग हैं. जिनको अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान है,

वर्षों पहले था, फिर भी ग्राज भी लोगों के मन में उनके भजनों का स्मरग है ग्रीर उनके भजनों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसी भाषा में विचार रखे, ऐसा शब्दिक रूप दिया कि ग्राम लोग समझ सकें।

इस लिय माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस विघेयक का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उन सुझावों के साथ कि अनुवाद करने को व्यवस्था जब आप आधारित करें, उसकी मूर्तरूप दें, तो आपके सामने पूरे देण का चित्न होना चाहिये, लोगों को कठिनाइयों का ख्याल रखना चाहिये और ऐसी भाषा में उसका अनुवाद होना चाहिय जिससे कि आम जनता उसको समझ सके और हमारे देण के संविधान और दूसरे कानून और दूसरे उससे सम्बन्धित रूल्स और आडिनेन्स जितनी व्यवस्था जारी होती है केन्द्र से, अपने हित में उनका किस प्रकार का प्रयोग हो सकता है इसकी जानकारी हमें ठीक प्रकार से दे सकें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री बालेंक्वर दयाल (मध्य प्रदेश) : माननीय मित्र ने जो कुछ स्रभी कहा, मैं उससे सहमत हं। यह जो भाषान्तर होता है यह इतने क्लिष्ट शब्दों का होता है कि उसके लिये भी डिक्शनरी देखनी पडती है। जैसा उन्होंने तुलसी दास का उदाहरण दिया । उन्होंने तो ग्रपनी सारी जाति का बहिष्कार स्वीकार किया। जब जाति वालों ने कहा कि देववाणी से तुम लोकवाणी में आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि लोकवाणी देव वाणी से ज्यादा श्रेष्ठ है। वे जाति से बहिष्कृत भी हुए। लेकिन उन्होंने रामायण का अनुवाद ऐसी भाषा में किया जिसको जनता समझती थी। इतना ही नहीं, श्रीमन यहां मैं एक घटना का उल्लेख करूंगा कि एक बार वम्बई से तार मिला था कि बैठक सचिवालय में होगी । में जब स्टणन पर उतरा, गाडी वालों से कहा सचिवालय ले चलो, तो गाड़ी वाले ने कहा आप बैठ जाइय, जहां चाहें वहां पर उतार देंगे।

हमने कहा कि तुम सचिवालय नहीं जानते हो । उसने कहा कि मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे । आप जहां कहें, वहां उतार दूंगा । मैंने कहा कि तुम इतने दिनों से यहां रहते हो और सैकटेरिएट नहीं जानते हो । गाड़ी वाला तुरन्त वोला आप हिन्दी में बोलिए, सचिवालय क्यों कहते हैं । चलिए बैठिए, आपको सैकेटेरिएट ले चलता हं ।

मान्यवर, लोक भाषा जो झब्दों को पचा लेती है वह हिन्दी है। ग्रव हिन्दी को यदि संस्कृत से सीधा रूपान्तर करना पडता है. तो वह हिन्दी का स्वयं द्रश्मन है। सचमच हिन्दी बहत क्लिण्ट कर दी गई है । यदि स्राप हमारे प्रान्त या हिन्दी वाले प्रान्त में जाएं तो पुलिस थाना जो सैंकडों वर्षों से लोगों की जवान पर आ गया है, वहां लिखा हआ है आदर्श आ रक्षी गृह । शायद यह सौ वर्ष में भी जनता तक नहीं पहुंच पायेगा, लोक भाषा का णब्द नहीं पड़ता । ग्रादर्श ग्रारक्षी गृह ग्रीर लोग समझते हैं कि एक आ रक्षी गृह यह है और एक स्टेशन पर है ग्रारक्षण गृह, यानि रिजरवेशन कक्ष । मालुम नहीं, संस्कृत से यह शब्द ग्राया है। मैं यह कहना चाहता था कि जो हिन्दी के समर्थक हैं, वही हिन्दी के दुश्मन बन रहे हैं जब वे बहत क्लिष्ट शब्द उसमें लाते हैं । इसलिय मैं माननीय मंत्री का समर्थन करूंगा कि जब कभी ट्रान्सलेणन हो यह मान कर के चलें कि हिन्दी सारे हिन्द्स्तान की, सारे हिन्दुस्तान की सम्पर्क भाषा है ग्रौर उसका मतलब यही होना चाहिये कि हिन्दूस्तान के जितने प्रान्तों से जो सरल ग्रब्द जनता को मालम पडें, उन शब्दों को टान्सलेशन में डालें. लेना चाहिये । यही ट्रान्सलेशन का ग्रथं होना चाहिये और यही उपयुक्त हैं इन्हीं जब्दो के साथ में समाप्त करता हं।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND (Punjab): Mr. Deputy Chairman, I am in agreement with the basic idea underlying this Bill. I am also in agreement with one point which has been made by both my colleagues

# 107 *Constitution* (Authorised Translations) [Sihri Jagjit Singh Anand]

who have preceded me, namely, the language. sought to promote Hindi in All these who fact created impediments in the way of Hindi by trying to import direct Sanskrit into the Hindi vocabulary. Sanskrit is the mother language in great respect. It is the whom we hold fountain of our culture and the past. But language itself is a medium of communication between one person and another. As times change development of society also takes place. New notions and new concepts come common people through their own in and experience import words from other languages in a manner that they are understood better. One criterion of any language should be that it is understood by the maximum number of people. Unfortunately we departed from what we inherited from our freedom struggle. When we were fighting the British, Mahatma Gandhi advocated Hindustani, meaning thereby a combination of Hindi and Urdu so that it would be understood by most of the people. We attained freedom after that Dr. Keskar was the Minister in charge of All India Radio. He introduced such a Hindi that even Pandit Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, had to publicly condemn it. He complained that he could not understand the Hindi of the All India Radio. Pandit Jawaharlal Nehru himself used to address mass meetings and there he used sometimes two expressions at the same time—with Sanskrit derivative and the other with Persian derivative^—in order to be understood. The entire purpose of language iethat it should be understood by the maxir mum number of people. But I am very sorry to observe that some fanatics who were the ardent supporters of Hindi hav, been the biggest enemies of that language with the result that whenever some effort is made to promote Hindi, it is met with great opposition.

I belong to Punjab. Punjabi is our I language. It is not only the language of the present day Punjab, but it also the language of greater part of the present day Pakistan. It is not only a language which is understood in Punjab, but much beyond also. But because of efforts to impose Hindi not only as a language, but to super-impose Hindi on Punjabis, a controversy came into existence over long years. The reason is misnomer. Some people often say that Hindi is the national language according to the Constitution. Keeping the interests of the country in mind, I say that India is a multilingual and multi-national country and all the languages that are included in the Eighth Schedue are equally our national languages. These languages should enjoy equal status within the Parliament, Judiciary, and elsewhere also. I would say that Nepalese should also be included in the Eighth Schedule among the national languages because several people speak this language. Culturally and otherwise they have contributed a lot to our country. They are not going back to Nepal.

Coming back to the subject, the entire difficulty arises when some people want special status for Hindi. The Constitution wants special status for Hindi so that it becomes the language for inter-State communication because it was felt that we should not continue English language which we had inherited from the British. But if Hindi has to become the language for inter-State communication in any foreseeable future and it has to replace English, then Hindi should be as simple as possible. When the Constitution of India was framed, Hindi was accepted as national language by only-one vote-the vote of revered and departed Gurmukh Singh Musafir Otherwise. Hindustani which we had inherited from the freedom struggle would have been accepted not Hindi. I would say that I am and for Hindi. But I do say that if Hindi is to become a language for inter-State communication in the forseeable future, as my hon, friend has very correctly said, Hindi should be more simplified.

Today, Hindi has become a controversial factor and a dividing factor. I am only saying that because even in my State, there is the Hindi-Punjabi controversy as the Pakistan and non-Pakistan controversy used to be in the olden days and Hindi has become controversial now. Why? I will give you certain examples. Now, for the word "rail" you say, "5rt

Everybody understandsthe word "rel gadi".

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh); Nobody says so.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND. It was advocated for long.

DR. BHAi MAHAVIR; Just for the «ake of argument, I do not think you should say these things, (*Interruptions*).

SHRI JAGJIT SINGH ANAND; It was attempted by many people and it was advocated by the people whe were asked  $t_0$  prepare officially the Hindi dictionary and they were people of your persuasion and they introduced this. Then...

DR. BHAI MAHAVIR; You are spoiling your own arguments by these Strange arguments.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND; I would be very glad if you all accept that this imposition of the San-skritised Hindi should not be there. But it is highly Sanskritised. You have unvarnished Hindustani words and Hindi words in the English language like 'jungle', 'kutcha' 'pucca' and so on and such unvarnished woris were given the go-by. But what is the uniting factor? One of the uniting factors is the Hindustani films which are mistakenly called Hindi films which is a misnomer. They have united the entire country except for the deep South. But in Bangalore and Mysore they understand the language, Hindi, because the attempt of the film producers is to get the maximum audience. Ever since we became free. I made a reference to Dr. Keskar in

, this connection and the All India Radio Hindi this tendency has continued and this tendency has to be fought. This tendency has to be replaced so that the real purpose of a language comes to be understood. I would, Sir, give another example. In Punjabi, there is a word "rangroot" which has come from the word "recruit".

PROF. N. G. RANGA (Andhra Pradesh); What is it?

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: "Rangroot". It has come from the word "recruit" and everybody understands it. In Punjab, even an ordinary person understands it. Now,

there is a term here which means "presentation of arms". In Punjabi it is called "farjenti", and everybody in the army understands it. Everybody in the army understands it, but nobody understands the original word. So, what I am saying is that if a language has to serve its original purpose, then, that language should be made simpler and that language should be made more and more understandable. especially in a country like ours. Sir, if my friend, Shri Mahavir is with us m this, I would urge on him to join with us all to make the All India Radio Hindi understandable. It is not understandable today. Even today it is not understandable. If he does this, then I would be with him in this. Now, on one point, Sir, I would differ with Sisodia. Mr. Sisodia said that all Mr our Acts in the original should be formulated in Hindi. He said, that all the laws should be formulated originally in Hindi. He said, "Mool Hindi men", if I have understood, him correctly. Sir, formerly, French used to be the language for international treaties even for the countries which were not concerned with French. It was a historical development that international treaties were to be in French and it was like this; One copy was to be in French and two copies were to be ia

# 111 Constitution (Authorised Translations) [Shri Jagjit Singh Anand]

the language or languages of the contracting parties. Why? Because of the precision of the language and because of the exactitude of the language, that is, French. Now, Sir, we inherited the English language from the British. We have also inherited certain constitutional concepts from the British so much so that we tried to copy all things from the British, even bad things, and this question arises especially in Vr-.e case of the British Constitution including our electoral system. Under this system, the single member constituency is there and whoever gets or secures even fifteen or sixteen per cent votes, gets elected. There have been examples where even the people who were to forfeit their deposits have wc 1 because they have secured the minimum and maximum among contestants it is because of the present electoral system. What I am saying is that we should not copy all from the British. If there had been proportional representation, then the question of reservation would go. If there had been proportional representation in the country, then the question of casteism would go. If there had been proportional representation in the country, then no political party would go into adjustments or alliances or whatever you may call it and this is done just for the sake of representation in Parliament. So, if the Government departed from these things, then I would be one with them and I would urge upon Dr- Bhai Mahavir to join with us in this. Nov;, so far as the question of framing of laws is concerned, English is accepted in this House. I can speak some sort of Hindustani and I can speak better Punjabi and my command over both would be better than my command over English. But because I want to be understood by my colleagues from all parts of the country, I have to fall back upon English. Similarly, when it is a question of framing laws, especially constitutional law?. I do not at all agree with the view that we must start with Hindi.

Certain preciseness has to be developed. I am all for a period when scientifically and technically our Hindi would be so developed and all other languages concerning our constitutional and legal matters originally I will be understood easily by everybody. But at present, that development has not come. Therefore, I would like that the practice of using English language should be continued till our languages have acquired their preciseness and scientific expression. But a translation should invariably be  $i_n a$  simple a language as possible. This has , also to be kept in view. While I am on\* it, I would say that had the three language formula been implemented, much of the language controversy would have gone.

There i<sup>s</sup> another thing, Sir. It is accepted that in naming a railway station, the regional language should come first, Hindi should come second alid English should come third. But it is always violated in practice. Not only that, without any consent from, the Member concerned, I have been receiving communications in Hindi from Prof. Dandavate. 1 write to him also. I ca'n read Hindi only slowly and cannot follow much of the language, which is a difficult Hindi, I would say; English I can read very fast. I do have the patience to look into long communications in Hindi. So the convenience of the people should also be kept in view. The three language formula should also be implemented

Then, Sir, he has said that Hindi must be in Devnagri script. I do not know why H \*<sup>s</sup> written there because Hindi is used in Devnagri script—that  $j_s$  in the Schedule. In that case, then please write that all the various national languages should be used in their accepted scripts. Thil also shows a sort of anxiety about i Hindi to preserve it in a certain form. This, I think is totally redundant.

Sir, I would welcome various'translations of Hindi. It is  $_0$ nly  $_a$  technical point whether you amend an old Act or you introduce a new Act. I am, all for a new Act, because it will popularise our constitution more and more. Eut what I would urge upon the ho<sub>n</sub>. Minister to see to it that not only Hindi translation but also translations in all the other Rational languages are produced well in time— 1 would say, simultaneously, if passible. Translation should not go by default. That should be a<sub>s</sub> sirrip'e as possible.

Then, lastly, Sir, I would say that our Constitution is not available at a nominal cost in u presentable form. It is so bulky that you cannot carry it conveniently.  $l_n$  other countries, whenever a Constitution is passed— even a new Constitution-for example in the Soviet Union, only last yea.-, they printed millions of copies of I heir Constitution; they print it for free distribution, they print it in a very attractive for.n of a diary thot jar. te etsily carried on a person. I wi.uld still request the hon. Minister to see to it that our Constitution is printed in English as well as in Hindi and all the other languages. I have already requested that this should be expedited. It should be made available at a nominal price, if not free. It should be made available to the maximum number of people. Especially I would like to urge upon him, Sir, that all the schools and colleges should be provided a minimum number of copies, say <sup>a</sup> hundred copies, free of cost. We are already considering lowering our voting age limit, and I think the day is not far off when the age limit for voting will be 18 years. Ahd how can one become a good voter without first learning about these things at the age of 16 or 17? Therefore, this should be done.

"With these words, Sir, I support the underlying  $ide_a$  of the Bill introduced by the hon. Minister.

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : उप-सभापति महोदय, हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया ह। इसके लिए वे धन्यवाद के पाल हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के कामकाज में हिन्दी और ग्रन्थ क्षेत्रीय भाषाग्रों का ग्रधिक से ग्रधिक प्रयोग होना चाहिए । यद्यपि हमारे देश के संविधान का ट्रांसलेशन बहत पहले हो गया था, लेकिन उस अनुवाद को प्राधिष्ठत करने का बिल ग्राज लाया जा रहा है। ग्रब तक अंग्रेजी भाषा में लिखा गया संविधान ही प्राधिकृत माना जाता रहा है। ग्रव उस स्थिति में परिवर्तन लाया जा रहा है यह बहत अच्छी बात है। मैं समझता हं कि यह काम बहत पहले हो जाना चाहिए था. लेकिन हमारे राज्य मंत्री जी पिछले 30 वर्षों में प्रशासन से बाहर ही रहे. इसलिए उनका इसमें ग्रधिक दोष नहीं है । हमारे संविधान में कहा गया है कि 15 वर्षों के अन्दर हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए । लेकिन अभी तक वह काम नहीं हो सका है। अब इस दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है, इसलिए हमारे गह राज्य मंत्री बधाई के पात हैं।

ग्रभी हमारे मिल श्री जगजीत सिंह ग्रानन्द जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिन्दी के सबसे बड़े दुष्मन वे लोग हैं जो हिन्दी की वातें ज्यादा करते हैं। लेकिन में समझता हं कि हिन्दी के ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के भी सबसे बडे विरोधी वे लोग हैं जो हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। इनमें श्री जगजीत सिंह म्रानन्द जैसे लोग भी हैं जो यहां पर अपनी भाषा पंजाबी में न बोल कर अंग्रेजी में बोलते हैं। हमारे इस सदन में सभी भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था है । ग्रतः श्री ग्रानम्द पंजावी में बोल सकते हैं। ग्राज हमारे देश में स्थिति यह हो गई है कि केवल अंग्रजी में बोलने वाला ग्रादमी ही विद्वान माना जाता है आरे जो लोग हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते हैं उनकों विद्वान नहीं माना जाता है। असल

[श्री नत्वी सिंह ]

बात ग्रंग्रेजी बोलने वालों की हीन भावना का द्योतक है। मैं समझता हूं कि श्री जगजीत सिंह ग्रानन्द जैसे लोग ही, जो ग्रपनी भाषा पंजाबी में न बोल कर ग्रंग्रेजी में बोलते हैं, हिन्दी ग्रीर क्षेत्रीय भाषाग्रों के विकास में बाधा डालते हैं।

हमारे देश में हिन्दी के प्रयोग में जिस तरह से धीरे-धीरें काम हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हं । हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार के जमाने में एक छादेश जारी किया गया कि सभी पत्नों पर अधिकारियों दारा हिन्दी में हस्ताक्षर किए जाएंगे । उप-सभापति महोदय, आप भी इस स्थिति से ग्रज्छी प्रकार से ग्रवगत हैं। सारी चिटठी तो ग्रंग्रेजी भाषा में होगी, लेकिन केवल मात हस्ता-क्षर हिन्दी में होंगे। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार से हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा भी उदाहरण देना चाहता हं । केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के साथ-साथ एक हिन्दी सलाहकार समिति वनाई गई है । एक हिन्दी सलाहकार समिति का मैं भो सदस्य हं। पिछले साल मझे चिटठी मिली कि आपको जहाजरानी और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की हिन्दी सलाहका र समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है और दूसरे साल फिर चिट्ठी मिली कि ग्रापको इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस हिन्दी सलाहकार समिति की इन सालोंग्रें कोई मिटिंग नहीं बलाई गई। ये हिन्दी सलाहकार प्तमितियां इसलिए बनाई गई हैं कि वे मंत्रालय से संबंध कामकाज में [हिन्दी के प्रयोग की गगति को देख सकें। लेकिन जब उनकी मिटिंग ही नहीं होगी तो वे स्थिति की समीक्षा केस प्रकार से कर सकेंगे । मैं समझता हं के इस प्रकार की हालत में हम हिन्दी स्रौर तेतीय भाषात्रों को सरकारी कामकाज में मागे नहीं बढ़ा सकते हैं। श्री आनन्द ने अभी हहा कि वे अंग्रेजी में इसलिए बोल रहे हैं

ताकि सारे देश के लोग उनकी बात को समझ सकें। मझे उनके इस तर्क पर बड़ा अचम्भा हग्रा। हम्तरे देश में कितने लोग अंग्रेजी समझते हैं। उनकी पैतिक भूमिपंजाब में कितने लोग अंग्रेजी भाषाको समझते हैं। रूस में भाषा समस्या का समाधान बहुत ग्रच्छी तरह किया गया है। वहां किसी विदेशी भाषा को लिक-लैंग्वज नहीं बनाया गया है। वहां उस देश की अनेक भाषाओं को उनका समचित स्थान दिया गया है। फिर उनका यह कहना कि हम ग्रंग्रेजी इसलिए बोलते हैं कि सारा देश हमें समझ सके । सारे देश में तो बहत थोड़े से लोग ग्रंग्रेजी समझते हैं। आज अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषात्रों के जो झगडे हैं वह नौकरियों के झगडे हैं या राजनैतिक झगडे हैं । राजनैतिक लोग जो हैं वह इससे जनता का शोषण करते हें या नौकरी वाले लोग शोषण करते हैं। यदि इस बात को अलग कर दिया जाय इस देश को अपगर कुछ समझाना है तो निश्चित रूप में वह झैंतीय भाषाओं के माध्यम से ज्यादा समझाया जा सकता है । चाहे वह हिन्दी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गजराती हो, तमिल हो, तेलगु हो या कन्नड हो । लेकिन ग्रंग्रेजी के नाम पर यह कहना अपने ग्राप को घोखा देना है केवल किसी और को नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हं कि ग्रगर इस तरीके से सारे मामले को यदि चलाया गया तो इससे काम नहीं चलेगा। ग्रभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ग्रंग्रेजी एक प्रिसाइज भाषा है । मैं उनसे पूछना चाहता हं कि क्या हिन्दी एक बडी प्रिसाइज भाषा नहीं है। हिन्दी में आप जोबोलेंगे उसका वही अर्थ होगा । अंग्रेजी में यह गुण नहीं है । अंग्रेजी में जीजा के लिए भी शब्द है बदर-इन-ला झौर साले के लिए भी बदर-इन-ला ही है। अंग्रेजी जीजा साले में कोई फर्क नहीं बताती है उसको कहते हैं कि वड़ी प्रिसाइज भाषा है । हिन्दी में हर काम के लिए, हर बात के लिए. हर ग्रभिव्यक्ति के लिए ग्रलग ग्रलग शब्द है। तो उनका यह कहना समझ म नहीं माता है। मेरा विचार है कि यह

कहना हमारी गलामी का परिचायक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून का जहां तक सवाल है ग्रगर हम हिन्दी और भारतीय भाषाओं में उसका प्रयोग करेंगे, सही तौर से उसको ग्रधिकृत माना जाएगा तो यै ज्याद प्रिसाइज होंगी, और उनमें जो ग्राशय है, जो तात्पर्य हैं उनको ज्यादा ग्रभिव्यक्त कर सकेंगे।

SHRI LAKSHMANA MAHA-PATRO (Orissa): Sir, possibly, the hon. Member may very well take an •opportunity t<sup>o</sup> decry some other language. But Mr. Jagjit singh Anand was not at that effort.

श्री नत्थी सिंह । आपने कुछ और समझा होगा। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं ग्रच्छी तरह समझता हं कि उनका...

SHRI LAKSHMANA MAHA-•PATRO: You have not followed him

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab) : I am sorry, the hon. Member has said that the Panjabis prefer to

in English because

हीनता की भावना उनके दिल में मौजूद है । मैं जानना चाहती हूं कि माननीय सदस्य किस तरह से एक या दो सदस्यों को सुनकर यह कह सकते हैं पंजाबियों में हीनता की भावना है जो ग्रंग्रेजी बोलना पसन्द करते हैं ।

श्वी नत्थी सिंह। ग्राप मेरी बात गलत समझ रही हैं।

श्रीमती ग्रम्बिका सोनी : जो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं उनके अन्दर हीनता की भावना है क्या ?

श्वी नत्व्यी सिंह । अंग्रेजी बोलने में वह ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। यदि वह अपनी वात को ज्यादा ग्रसर से पंजाबी में बोलते तो ज्यादा उच्च भावना होती । हीनता की भावना इसलिए है कि वह अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रजी बोलना पसन्द करते हैं। अपने यह जो अंग्रेजीदां लोग हैं अपनी भाषा में बोलने में ये हीनता अनुभव करते हैं। अपनी भाषा में नहीं बोलते हैं इसलिए हीनता की भावना है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हं वह यह है कि जो ग्राज स्थित है उसके सम्बन्ध में हमारे सिसोदिया जी ने जो कहा है और वालेश्वर दयाल जी ने जो कहा उसका मैं भी समर्थक हं कि यह बात नहीं चल सकती कि हिन्दी में संस्कृत न हो । दक्षिण में जहां भी आप जायेंगे तो आप पायेंगे कि वहां संस्कृत लोग ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जब तक ग्राप बोल चाल की भाषा के शब्दों से अपनी गब्द कोष को सम्पन्न नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमारे इस सदन में एक भूतपूर्व माननीय सदस्य जो इस समय यहां पर नहीं हैं और जो सुप्रीम कोर्टमें एडवोकेंट हैं मुल्ला साहब एक बार वह जोधपुर ग्राए, उच्च न्याया-लय में किसी फौजदारी कैस के सिलसिले में। हम कितने ही लोग बैठे हए थे। जो लोग हिन्दी की वात बहुत ज्यादा करते हैं उनसे उन्होंने सवाल किया कि एक शब्द का मतलब मझे बता दीजिए। यह शब्द मुझे उस समय मिला जब मैं राजस्थान के उच्च न्यायालय में वहां पर एक फाइल का मुझाइना कर रहा था। उस फाइल का मुग्राइना करते करते यह शब्द आया जिसको मैं समझ नहीं पाया। शायद ग्राप लोग समझते होंगे कि भारसाधक का अर्थ क्या है। हम लोगों में से किसी ने टक समझा। किसी ने कुछ और समझा / लेकिन उन्होंने अन्त में बताया कि भारसाधक का उस फाइल में मतलब था थानेदार। भारसाधक का ग्रर्थ थानेदार है और हम ट्रक बैलगाड़ी या ट्रैक्टर समझते रहे। तो इस तरह से जो गलत तरीके से शब्द बनाए जाते हैं यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम प्रभारी कहते हैं मेरे कहने का ग्रर्थ यह है कि *रे*ल का रेल ही हो न कि लौह पथ गामिनी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह जो शब्द हमारी बातचीत में, बोल चाल में आते

[श्री नत्थी सिंह]

Statement by

रहतेहैं, जिनको हम ग्रहण कर चुकेहैं उनको जामिल करके निष्चित रूप में हमारी भाषा गतिणील बनेगी ग्रौर वह जन भावनात्रों को ज्यादा ग्रभिव्यक्ति देसकेगी।

1 P.M. इसलिए ग्रापने जो शरूग्रात की है, उसके लिए मैं ग्रापको धन्यवाद

देता हं। मैं यह भी कह देना चाहता हं कि ग्रगर ग्राप गति नहीं ला पाए तो कोई लाभ नहीं होगा। माननीय मंत्री जी जवाव देते वक्त बतायें कि हिन्दी को, देशी भाषा प्रों को ग्रंग्रेजी हटा कर कब प्रतिष्ठित करेंगे। सबसे. वडी बात यह है कि अंग्रेजी आज हम पर छाई हई है, हमारे दिमागों को गलाम बनाएं हुए है इसीलिए मैं जानना चाहता हं कि हिन्दी कव ग्रपने पद पर ग्रासीन होगी जिस गति से पुरानी सरकार चली थी अगर आप भी उसी गति से चलेंगे तो सब यह कहेंगे कि यह सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मैं यह चाहता है कि ग्राप ग्रंपने पांच साल पुरे होने से पहले इस तरह की व्यवस्था कर दें कि हिन्दी और हिन्द्स्तान की जन्य भाषायें जो हमारे संविधान में लिखी गई हें सब अपने प्रतिष्ठित पदों पर ग्रासीन हो सकें ' तब ग्राप जो यह विधेयक लाए हैं जिसके लिए मैंने ग्रापको वधाई दी है निश्चित रूप से सार्थं क सिद्ध होगा । यह भी टालने वाली बात नहीं होनी चाहिए । ग्रापने हिन्दस्तान में एक ग्रच्छी वात की है। ग्रापने यह फैसला किया कि पहिलक संविस कमीजन की जो परीक्षायें होती हैं उनमें हिन्दी और अन्य भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे । यह जापने एक जच्छा काम किया है । ग्रापने एक अच्छा फैलला लिया है लेकिन इसी तरह से तमाम अपने सेकेटरिएटस में और ग्रन्तराज्यीय मामलों में भी ग्रपनी भाषाओं के साध्यम से काम कर सकें, यह दोनों हो जायें। इसलिए में इस विधेयक को एक पहली सीढी मानता हं। मैं यह जानना चाहता हं कि कहीं हम पहली सीढ़ी पर खड़े न रह जायें और छत पर चढ सक, इसके लिए ग्राप क्या कर रहे हैं। यह स्राप बतायेंगे तो मैं स्रापका बहत ग्रनुगृहीतहूंगा।इन शब्दो के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हं।

#### STATEMENT BY MINISTER RE-GARDING THE ESTABLISHMENT OF A RATE OF EXCHANGE BETWEEN THE INDIAN RUPEE AND THE ROUBLE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before we adjourn for lunch, hon. Finance Minister will make a statement.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): Sir, since 1966, the exchange rate between the. Rupee and the Rouble has been Rs. 8.333 = 1 Rouble in two accorcfence with the gold contents of the currencies as then determined. Due to instability of exchange rates which have characterised the international monetary scen<sub>e</sub> for the last few years--and the subsequent demonetisation of gold, gold contents of various currencies have become increasingly irrelevant, Soon after December 20. 1971 when, the following Smithsonian Agreement, a rate of Rs. 18.9677 to 1 Pound Sterling was announced by the Reserve Bank of India, the State Bank of the Union of Soviet Socialist Republics announced what it termed an (GOSBANK) "official exchange rate" of 1 Rouble=Rs. 8.78. Since then, the GOSBANK has been announcing changes in this rate from time to time, and it currently stands at 1 Rouble=Rs. 11.76. This rate is, however, applicable only to noncommercial transactions.

In June, 1974, the Soviet authorities raised the question of establishing a more realistic exchange rate between the two currencies for repayment of Soviet credits and settlement of commercial transactions between India and the Soviet Union. Their contention was that the rate of Rs. 8.33 = , 1 Rouble was resulting in losses to the Soviet Union since 1972 and that ar> rangements should be made to compensate them for these losses.